भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1117

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल की सीटें बढाए जाने की आवश्यकता

†1117. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के आधार पर 1:1000 के डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) द्वारा सूचित 1:856 के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को प्राप्त करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में मेडिकल की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही निर्धारित लक्ष्य और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) यूजी-एमएसआर में विनिर्धारित रोगी बिस्तर की कुल क्षमता और भारत में चिकित्सा महाविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए अस्पतालों और नव स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों का विभागवार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त समायोजन द्वारा भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानताओं को किस प्रकार दूर किया जाएगा और इस संबंध में रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों, स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में वृद्धि की है। 2014 से आज तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है: यूजी सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई गई सूचना के अनुसार, देश में 13,86,157 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों पद्धतियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

(ग) और (घ): स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, जैसा कि नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम की शुरूआत, वर्तमान पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम 2023 (एमएसआर-2023) में उल्लिखित है, छात्र प्रवेश के आधार पर न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संकाय आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। एमएसआर के अनुसार, सीटों की संख्या के अनुरूप विभागवार बिस्तरों की संख्या **अनुलग्नक में** दी गई है।

सरकार भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

- जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहे हैं.
- एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य/केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के तहत, कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत नए एम्स की स्थापना के लिए 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में स्नातक कोर्स शुरू कर दिए गए हैं.

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1117 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

एमबीबीएस सीट क्षमता वाले बेड	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**
सामान्य चिकित्सा	50	100	150	220	225
बाल रोग चिकित्सा	25	50	75	100	125
त्वचा विज्ञान	5	10	10	10	10
मनोरोग	5	10	15	20	25
सामान्य शल्य चिकित्सा	50	100	150	150	200
हड्डी रोग विशेषज्ञ	20	40	60	80	100
कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ	10	20	20	30	30
नेत्र विज्ञान	10	20	20	30	30
प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	25	50	75	100	125
गहन चिकित्सा कक्ष (आई सी यू)	20	20	30	30	30
कुल	**220**	**420**	**605**	**770**	**900**
बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी)	**400**	**800**	**1200**	**1600**	**2000**
मुख्य ऑपरेशन कक्ष	**4**	**7**	**9**	**10**	**11**
लघु शल्य कक्ष	प्रत्येक शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए 1 कक्ष				

* अस्पताल में सामान्य शल्य चिकित्सा (जनरल सर्जरी) के लिए 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों में कम से कम 10% बिस्तर बाल चिकित्सा (पीडीऐट्रिक्स) के लिए आरक्षित होगें।

****